क्रमांक / जिडिफाप्रालि / ओएफसी / वनभूमि / स्टेज–1 / 2023–24 रायपुर, दिनांक : 18.05.2023

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल कवर्धा,
जिला–कबीरधाम (छत्तीसगढ़).

विषय : कबीरधाम जिले के कवर्धा वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.034 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ : छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक / एफ 5–05 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19.04.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कबीरधाम जिले के कवर्धा वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.034 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि उपयोग पर देने हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है । प्रथम चरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

क्रमांक	शर्ते	पालन प्रतिवेदन
01	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
02	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
03	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाएँगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
04	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किए मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

15/6/23 5498

4th Floor, Office BlocK, Office No.401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa (Saddu), Raipur (Chhattisgarh)-492014
Office Phone No. : 0771-3557701
Jio Digital Fibre Private Limited: CIN U64200GJ2018PTC105652
Registered Office: Office - 101, Saffron, Nr Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India
Tel no. 079-35600100

—:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

No.: 232230
E-mail : dfokabirdham@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / .... 1467 कवर्धा, दिनांक :— 26 / 06 / 2023

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :— **आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. रायपुर द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.034 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव। (पंजीयन क्रमांक / FP/CG/OFC/139649/2021)**

संदर्भ :— 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ 5—05 / 2023 / 10—2 दिनांक 19.04.2023 ।

2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध / व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्र. / भू—प्रबंध / विविध—1ए / 115—900ए / 996 दिनांक 26.04.2023 ।

3. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स),जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल अम्बुजा मॉल विधान सभा रोड़,मोवा (सड्डू) रायपुर,छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र. / जिडिफाप्रालि / ओएसी / वनभूमि / स्टेज—1 / 2023—24 दिनांक 18.05.2023 ।

——✡✡✡——

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग
आवक 27/06/2023

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक / एफ 5—05 / 2023 / 10—2 दिनांक 19.04.2023 द्वारा प्रथम चरण (सैद्धांतिक) स्वीकृति जारी की गई है। उक्त स्वीकृति के अनुक्रम में अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल अम्बुजा मॉल विधान सभा रोड़,मोवा (सड्डू) रायपुर, छ0ग0 के द्वारा संदर्भित पत्र क्र.—03 के माध्यम से उक्त प्रथम चरण (सैद्धांतिक) की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति उपरांत पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :—

क्र.	अधिरोति शर्ते	पालन प्रतिवेदन
01	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
02	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
03	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाएंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
04	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी, वन्यप्राणी तथा बॉयोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किए मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक संस्थान द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
05	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वन मण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
06	उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत ही बिछाई जावेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।

	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात्, उपयोग किए गए भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
08	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथा संभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
09	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
11	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
12	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) नोड़ल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम, 1980) द्वारा प्रति माह के 05 तारिख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
13	बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जाएगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) नोड़ल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।
14	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। इस आशय का वचन पत्र संलग्न है।

कृपया प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का उपरोक्तानुसार आवेदक संस्थान के पालन प्रतिवेदन को मान्य करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित सादर सम्प्रेषित है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में।
(पालन प्रतिवेदन 01से 14 तक)

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा
कवर्धा,दिनांक :– 28/06/2023

पृ.क्र./तक.अधि./ 1468

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्र./भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–900ए/996 दिनांक 26.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स),जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल अम्बुजा मॉल विधान सभा रोड़,मोवा (सड्डू) रायपुर,छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र./जिडिफाप्रालि/ओएसी/ वनभूमि/स्टेज–1/2023–24 दिनांक 18.05.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

E(D)/E/DDRIVE/PRADEEP/LETTER/FCA Letter/Jio Digital fibre privat ltd. raipur 5.034

o/c